भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1068
दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस योजना में डिजिटल प्रौद्योगिकियां

1068. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आईसीडीएस योजना के विभिन्न पहलुओं में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है जिसमें उन आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के प्रतिशत को दर्शाया गया है जो सेवा वितरण हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं और सभी एडब्ल्यूसी में डिजिटल उपकरणों को अपनाने का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डिजिटल प्रौद्योगिकियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर सेवा वितरण में सहायता प्रदान कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इंटरनेट न होने, धीमे इंटरनेट कनेक्शन, तकनीकी कठिनाइयों या सॉफ्टवेयर खराबी में भी एडब्ल्यूसी के कार्यप्रणाली एवं सेवा वितरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आईसीडीएस में आधार के व्यापक उपयोग को देखते हुए संवेदनशील जानकारी के स्टोरेज के संबंध में गोपनीयता नीति क्या है;

(घ) क्या मोबाइल फोन और/या इंटरनेट तक पहुंच न रखने वाले व्यक्ति अभी भी सम्पूर्ण आईसीडीएस सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हैं और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त उपकरणों के उपयोग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो इन्हें हल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) एवं (ख): सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वितरण सहायता प्रणाली को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस मिशन के तहत एक आवश्यक संचालन उपकरण के तौर पर 1 मार्च 2021 को 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था।

पोषण ट्रैकर सभी आंगवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की तय संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। बच्चों में बौनेपन, दुबलापन, अल्प वज़न की व्यापकता की तेज़ी से पहचान के लिए पोषण ट्रैकर के तहत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे, आंगवाड़ी केंद्रों का खुलना और बंद होना, बच्चों की रोज़ाना उपस्थिति, बच्चों के विकास की निगरानी, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) गतिविधियां, गर्म पका भोजन / घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं) का वितरण, विकास माप आदि के लिए लगभग तत्समय आंकड़े एकत्र करने की सुविधा दी है। यह ऐप उचित व्यवहार और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है, जिससे जन्म की तैयारी, बच्चे का जन्म, जन्म के बाद की देखभाल, स्तनपान पूरक आहार (कॉम्प्लिमेंट्री फीडिंग) से संबंधित का प्रचार-प्रसार करने में सहायता मिलती है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के उपयोग के बारे में सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नियमित फील्ड स्तर का प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वयं सीखने (सेल्फ-लर्निंग) के वीडियो भी हैं, जिससे डिजिटल मॉड्यूल के ज़रिए लगातार क्षमता निर्माण और कार्यस्थल पर सीखना संभव हो पाता है।

इसके अलावा, सेवा वितरण के अंतिम छोर की ट्रैकिंग के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (म.बा.वि.मंत्रा) ने घर ले जाने वाले राशन के वितरण के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में (चेहरे की पहचान प्रणाली) फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) विकसित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत इच्छित लाभार्थी को ही दिया जाता है।

इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को डेटा एंट्री और पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागत साझाकरण आधार पर खरीदे गए स्मार्टफोन दिए गए हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को हर आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 2000/- रुपये की वार्षिक दर से इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क दिया जाता है।

ब्लॉक और ब्लॉक समन्वयक आगंनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण ट्रैकर के प्रभावी इस्तेमाल और तकनीकी समस्याओं को ठीक करने के लिए ज़मीनी स्तर पर मार्गदर्शी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भौतिक रजिस्टर का उपयोग बंद करने की भी सलाह दी गई है।

(ग) पोषण ट्रैकर में निजता से जुड़े कई डेटा प्रोटेक्शन सेफगार्ड मौजूद हैं। कुछ डेटा प्रोटेक्शन सेफगार्ड नीचे दिए गए हैं:

- पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन का इस्तेमाल विशिष्ट रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां करती हैं, और यह जन-सामान्य या किसी भी बिना इजाज़त वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसके एक्सेस को रोल-बेस्ड बनाया गया है, लॉग-इन और मॉनिटर किया जाता है।
- इसके अलावा, इस एप्लिकेशन का इंटरनल डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, जो ऐप एन्वायरनमेंट के बाहर सेंसिटिव जानकारी तक एक्सेस को रोकता है।
- लाभार्थी का जो भी डेटा इकट्ठा किया जाता है, वह सभी मौजूदा डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल के तहत आता है, जिसमें प्रयोजन संबंधी सीमा, सूचित सहमति और एक्सेस पर रोक को अनिवार्य बनाया गया है।
- चेहरे की पहचान से जुड़े सभी अनुरोध और जवाब ट्रांज़िट के दौरान एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, जिससे डेटा इंटरसेप्शन या छेड़छाड़ से सुरक्षित रहता है।

- डिवाइस पर कोई भी इमेज या डेटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं होता है। सावधानी के तौर पर, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एप्लिकेशन से लॉग आउट करती है, तो सारा कैच्ड या अस्थायी डेटा अपने आप वाइप हो जाता है।
- निजी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है; यह सिर्फ़ सत्यापन के लिए अधिकृत कार्मिक के लिए ही उपलब्ध है।
- सुरक्षित प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन के लिए चेहरे की इमेज को ऐप के अंदर एन्कोडेड फ़ॉर्मेट में रखा जाता है।

(घ) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसमें अलग-अलग गतिविधियों को कार्यान्वित करने की ज़िम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक **स्वयं-चयन वाली व्यापक योजना है जिसमें** किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण **करने और सेवा प्राप्त करने** में **कोई रुकावट नहीं है**।

(ड़) मंत्रालय ने सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के माध्यम से अलग-अलग हितधारकों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन और डैशबोर्ड का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया है। पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी कर्मियों और फील्ड में काम करने वालों को एक कैस्केडिंग मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहा है, जिसमें मास्टर प्रशिक्षक (यानी जिला अधिकारियों, ब्लॉक समन्वयकों और पर्यवेक्षकों) को प्रशिक्षण दिया जाता है, और मास्टर प्रशिक्षक आगे फील्ड में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण देते हैं। 30 नवंबर 2025 तक देश भर में 8,95,814 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(च) शिकायत निवारण तंत्र पोषण 2.0 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां अपनी शिकायतें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन और डैशबोर्ड पर भेज सकती हैं। इसके अलावा, नवंबर 2022 से शुरू हुई पोषण हेल्पलाइन (1515) भी शिकायतें दर्ज करने के लिए शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के ज़रिए, कोई भी कार्यकर्ता एप्लीकेशन से जुड़ी दिक्कतों के बारे में अपनी समस्या बता सकती है। यह हेल्पलाइन 17 भाषाओं में उपलब्ध है।

*****